[ 2019 ] 17 एस. सी. आर 214

अशोक कुमार कालरा

वी.

विंग सीडीआर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और ओआरएस।

( 2018 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 23599)

नवंबर 19,2019

[ एन. वी. रमना, मोहन एम. शांतनागौदर

और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। VIII, r. 6 प्रतिवाद दाखिल करना-लिखित बयान जमा करने के बाद प्रतिवादी द्वारा दावा -

प्रतिबंध, यदि कोई हो-प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया-याचिकाकर्ता ने लिखित बयान दायर किया-इसके बाद, जवाबी दावा दायर किया-निचली अदालत ने लिखित बयान दायर करने और मुद्दों को तैयार करने के बाद जवाबी दावा दायर करने पर आपत्तियों को खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय ने जवाबी दावे को रद्द कर दिया-याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित संदर्भ आदेश, जिसमें या की व्याख्या के बारे में बड़ी पीठ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। VIII, आर. 6 ए प्रतिवाद दाखिल करने के संबंध में-वाद में प्रतिवादी द्वारा दावा-संदर्भ का उत्तर देते हुए अभिनिर्धारित किया गयाः एन. वी. रमण, मोहन एम. शांतनगौदर और अजय रस्तोगी, जे. जे. के अनुसार। कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, काउंटर आर के माध्यम से दावा करता है। 6 ए को 1976 के संशोधन अधिनियम-या द्वारा सी. पी. सी. में जोड़ा गया था। VIII, r. 6 ए लिखित बयान दाखिल करने के बाद जवाबी दावा दायर करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, बल्कि प्रतिबंध केवल कार्रवाई के कारण के संचय के संबंध में है-हालांकि, यह प्रतिवादी को पर्याप्त देरी के साथ जवाबी दावा दायर करने का पूर्ण अधिकार नहीं देता है, भले ही निर्धारित सीमा अवधि बीत न गई हो-अदालत को विचार करना होगा

काउंटर दाखिल करने के लिए बाहरी सीमा-दावा जो समावेशी कारकों का मूल्यांकन करने के बाद मुद्दों को तैयार किए जाने तक निर्धारित किया जाता है, जो केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। , विलंब की अवधि; निर्धारित

कार्रवाई के कारण के लिए सीमा अवधि का अनुरोध किया गया; देरी का कारण आदि-मोहन एम. शांतनगौदर, जे. (आंशिक रूप से

पूरक और आंशिक असहमति) न्यायालय अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है और लिखित बयान के बाद, मुकदमे के मुद्दों को तैयार करने के चरण तक जवाबी दावा दायर करने की अनुमति दे सकता है, हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, बाद में जवाबी दावा दायर करने की अनुमति शुरू होने के चरण तक दी जा सकती है।

214 अशोक कुमार कालरा बनाम। विंग सीडीआर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और ओआरएस।

वादी की ओर से साक्ष्य को दर्ज करना क्योंकि कोई नहीं है

के दौरान कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण विकास

मुद्दों को तैयार करने और शुरू करने के बीच की अवधि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग

1976 का अधिनियम-सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002

-

सीमा अधिनियम, 1963 - एस. 3 (2) (बी) (ii)।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। VIII-की योजना

-

आयोजित किया गयाः या की पूरी योजना। VIII स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि

प्रतिबंध लगाकर न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का विधायी इरादा

लिखित कथन देर से दाखिल करने पर, रद्द करें और जवाबी दावा करें।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-विलंबित काउंटर दाखिल करना

विचार किए जाने वाले कारकों का दावा करें-चर्चा की गई।

न्यायशास्त्र-प्रक्रियात्मक न्याय बनाम मूल न्याय

चर्चा की दिशा में न्याय संतुलित दृष्टिकोण-सिविल

प्रक्रिया संहिता, 1908-या। VIII, r. 6 ए-सीमा अधिनियम, 1963।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। VIII, rr. 6 ए, 9,10 और

या. VI, आर. 17-आयोजित न्यायालय की शक्तिः प्रति मोहन एम.

लिखित कथन दाखिल करने के बाद भी प्रति-दावा, जब तक क्योंकि यह 1963 के अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है।

- सीमा अधिनियम, 1963।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। VIII, r. 6 ए, 6 बी-याचिका

प्रत्यर्थी का, आर पर निर्भर है। 6 बी, वह आर। 6 ए (1) की आवश्यकता है कि कारण

लिखित वक्तव्य आयोजितः प्रति मोहन एम. शांतनगौदर, जे. ( पूरक) दो कारणों से सहमत नहीं-(i) यह संभव है

कि लिखित बयान दाखिल करने के समय, प्रतिवादी है उसके लिए कार्रवाई के कारण को जन्म देने वाले तथ्यों से अनजान

प्रति-दावा (ii) या का अवलोकन। VIII, r. 6 बी सुझाव देता है कि यह केवल है

उन मामलों तक सीमित जहाँ जवाबी दावा किया जाता है लिखित कथन प्रावधान यू/या। VIII को नहीं पढ़ा जाना चाहिए

अलगाव, लेकिन एक संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण तरीके से-नियम 6 बी अनुमति देने के लिए न्यायालय के विवेक पर सीमा के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है

विलंबित प्रति-दावा दाखिल करना।

9 ] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। VIII, आर. 6,6 ए (1), (4) याचिका है कि सेट-ऑफ दाखिल करने की सीमा यू/या है। VIII, r. 6 होना चाहिए आर में पढ़ें। 6 ए (1)-आयोजितः प्रति मोहन एम. शांतनगौदर, जे. (पूरक) असमर्थनीय-एक सेट-ऑफ और एक जवाबी दावे की प्रकृति अलग-अलग होती है--गणना किए गए अंतर।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः एन. वी. रमना के अनुसार, मोहन एम.

शांतनागौदर और अजय रस्तोगी, जे. जे.

1.1 आदेश VIII नियम 6 सी. पी. सी. के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा कानूनी रूप से वसूली योग्य किसी भी निश्चित राशि के भुगतान का दावा कर सकता है। उसे वादी से, वादी की मांग के खिलाफ, धन की वसूली के लिए एक मुकदमे में। जबकि नियम 6 ए प्रतिदावे से संबंधित है।

प्रतिवादी द्वारा, जिसके अनुसार एक वाद में प्रतिवादी, नियम 6 के तहत एक सेट-ऑफ का अनुरोध करने के अपने अधिकार के अलावा, वादी के दावे के खिलाफ जवाबी दावे के माध्यम से, वादी के खिलाफ वादी के खिलाफ कार्रवाई के कारण के संबंध में कोई अधिकार या दावा स्थापित कर सकता है, या तो मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी के अपना बचाव देने से पहले या अपना बचाव देने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने से पहले, चाहे ऐसा जवाबी दावा हर्जाने के दावे की प्रकृति का हो या नहीं। आदेश VIII सी. पी. सी. की पूरी योजना स्पष्ट रूप से इंगित करती है

लिखित बयान के देर से दाखिल करने पर प्रतिबंध लगाकर न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के विधायी इरादे पर, बंद और जवाबी-दावा। नियम 6 ए को सी. पी. सी. में 1976 के सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (1976 का अधिनियम No.104) द्वारा पेश किया गया था, और संशोधन से पहले, धन मुकदमों को छोड़कर,

अन्य मुकदमों में प्रतिदावा या खारिज करने का अनुरोध नहीं किया जा सकता था। भारत के विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार,

कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता में नियम 6 ए के माध्यम से जवाबी दावा जोड़ा गया था। प्रक्रियात्मक कानून का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त न्याय देने की प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जाए। विशेष रूप से, सी. पी. सी. के आदेश VIII में नियम 6 ए को लागू करने का उद्देश्य पक्षों को अलग-अलग मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित करके कार्यवाही की बहुलता से बचना है और यह देखना है कि पक्षों के बीच विवाद का अंत में निर्णय हो। यदि प्रावधान की व्याख्या अशोक कुमार कालरा v में की गई है।

विंग सीडीआर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और ओआरएस।

यह निर्धारित करता है कि जवाबी दावा लिखित बयान के साथ दायर किया जाना चाहिए और इसके अलावा, न्यायालय के पास कोई शक्ति नहीं है। द. अदालतों को प्रतिवाद के समर्थन में बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, संशोधन के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। यह कहने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है कि किसी विशेष समय में अदालतों को दिए गए विवेकाधिकार को कम करके जवाबी दावा दायर किया जाना चाहिए। निचली अदालत को विवेकपूर्ण तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग करना होगा और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि जवाबी दावे की अनुमति देने से, विरोधी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, प्रक्रिया में अनुचित देरी नहीं होती है और यह न्याय के सर्वोत्तम हित में और संशोधन के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुसार है। लेकिन हालाँकि, प्रतिवादी को मुद्दे तैयार होने के बाद और मुकदमा काफी हद तक आगे बढ़ने के बाद जवाबी दावा दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

यह न्याय के उद्देश्य को विफल कर देगा और त्वरित न्याय के सिद्धांत के लिए हानिकारक होगा जैसा कि उद्देश्यों में निहित है और

सी. पी. सी. में विशेष संशोधन के कारण। [ पैरा 10,12 और 17] [227-डी-एफ; 228-डी-एफ; 230-डी-एच; 239-ए-बी]

सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3353; [2005] 1 पूरक। एस. सी. आर. 929-निर्भर।

जय जय राम मनोहर लाल बनाम। राष्ट्रीय भवन निर्माण सामग्री आपूर्ति, गुड़गांव (1969) 1 एस. सी. सी. 869 [1970] 1 एस. सी. आर. 22; महेंद्र कुमार और अन्न। वी. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। ( 1987 ) 3 एससीसी 265: [ 1987 ] 3 एस. सी. आर. 155; जग मोहन चावला और एक अन्य बनाम। डेरा राधा स्वामी सतसंग और अन्य। , ( 1996 ) 4 एससीसी 699: [ 1996 ] 2 पूरक। एससीआर 509; शांति रानी दास देवंजी (श्रीमती) बनाम। एल. आर. द्वारा दिनेश चंद्र दिवस (मृत)। ( 1997 ) 8 एस. सी. सी. 174 [1997] 4 पूरक। एस. सी. आर. 177; विजय प्रकाश

जरथ वी. तेज प्रकाश जरथ (2016) 11 एस. सी. सी. 800; बोल्लेपांडा पी. पूनाचा और अन्न। वी. के. एम. मदापा

( 2008 ) 13 एस. सी. सी. 17: [ 2008 ] 4 एससीआर 1011; रमेश [2019] 17 एस. सी. आर.

चंद अर्दावतिया बनाम। अनिल पंजवानी (2003) 7 एससीसी

350 [ 2003 ] 3 एस. सी. आर. 1149-संदर्भित।

1.2 निष्कर्ष-सी. पी. सी. का आदेश VIII नियम 6 ए लिखित आवेदन दाखिल करने के बाद जवाबी दावा दायर करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।

कथन, बल्कि प्रतिबंध केवल के संबंध में है कार्रवाई के कारण का संचय। ऐसा कहने के बाद, यह प्रतिवादी को पर्याप्त देरी के साथ जवाबी दावा दायर करने का पूर्ण अधिकार नहीं देता है, भले ही निर्धारित सीमा अवधि बीत न गई हो। अदालत को जवाबी दावा दायर करने की बाहरी सीमा को ध्यान में रखना होता है, जो मुद्दे तैयार होने तक निर्धारित की जाती है। ऐसे मामलों में अदालत को जवाबी दावा दायर करने पर विचार करने का विवेकाधिकार है।

नीचे दिए गए समावेशी कारकों पर विचार और मूल्यांकन करना जो केवल उदाहरणात्मक हैं, हालांकि संपूर्ण नहीं हैंः ( i) विलम्ब की अवधि; (ii) निवेदन की गई कार्रवाई के कारण के लिए निर्धारित सीमा अवधि; (iii) विलम्ब का कारण; (iv) प्रतिवादी का अपने अधिकार का दावा; (v) मुख्य वाद और प्रतिवाद-दावे के बीच कार्रवाई के कारण की समानता; (vi) नए मुकदमे की लागत; (vii) अन्याय और प्रक्रिया का दुरुपयोग; (viii) विरोधी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह; (ix) और प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ; (x) किसी भी मामले में, मुद्दों को तैयार करने के बाद नहीं। [ पैरा 19,20] [232-ई-एच; 232-ए-डी]

मोहन एम. शांतनगौदर, जे. (आंशिक रूप से

पूरक और आंशिक रूप से असहमति)

दावा करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियम 9 उन दावों की प्रकृति पर कोई रोक नहीं लगाता है जिन्हें बाद के अभिवचनों के रूप में उठाया जा सकता है। जितने लंबे समय तक चूंकि न्यायालय का मानना है कि बाद के अभिवचन के माध्यम से प्रतिदावे की अनुमति देना उचित होगा, इसलिए लिखित कथन दाखिल करने के बाद प्रतिदावे दायर करना संभव है। इसके अलावा, आदेश VI नियम 17, सी. पी. सी. के तहत मूल लिखित बयान में संशोधन के माध्यम से एक विलंबित जवाबी दावा पेश करना भी संभव है। हालांकि, जैसा कि आदेश VIII नियम 9 के मामले में है, एक संशोधित लिखित बयान के माध्यम से इस तरह के जवाबी दावे को दायर करना अदालत की अनुमति के अधीन है, न कि अशोक कुमार कालरा बनाम।

विंग सीडीआर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और ओआरएस।

प्रतिवादी को अधिकार के रूप में दिया गया। न्यायालय के पास सी. पी. सी. के आदेश VIII नियम 9 और आदेश VI नियम 17 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए लिखित बयान के बाद जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार है। आदेश VIII नियम 10 के तहत, न्यायालय के पास लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ करने की शक्ति है, अगर वह इसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझता है। यदि ऐसा है, तो इसका कोई कारण नहीं है कि प्रतिदावा दायर करने में देरी को न्यायालय द्वारा भी माफ नहीं किया जा सकता है। आदेश VIII के नियम 6 ए, 9 और 10 के साथ-साथ आदेश VI नियम 17, सी. पी. सी. के एक संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण पठन से इस प्रकार पता चलता है कि न्यायालय को लिखित कथन दाखिल करने के बाद भी जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार निहित है, जब तक कि यह सीमा अधिनियम, 1963 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है। [ पैरा 8,10 और 11] [236-जी-एच; 237-ए-बी; 237-एफ-एच; 238-एच; 239-ए-बी]

1.2 यह संभव है कि लिखित रूप से दाखिल करने के समय

बयान में, प्रतिवादी उन तथ्यों से अनजान है जो उसके जवाबी दावे के लिए कार्रवाई के कारण को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी बहन के खिलाफ वादी द्वारा लाए गए स्वामित्व की घोषणा के मुकदमे में, प्रतिवादी इस बात से अनजान हो सकता है कि वादी ने अपना लिखित बयान दाखिल करते समय उक्त संपत्ति में रखी गई उसकी वस्तुओं को गलत तरीके से हिरासत में लिया है। ऐसी स्थिति में, भले ही उसके काउंटर के लिए कार्रवाई का कारण-सामान के गलत तरीके से हिरासत में रखने का दावा लिखित बयान दाखिल करने से पहले उत्पन्न हुआ हो, लेकिन उसके लिए उक्त काउंटर-दावा करना संभव नहीं था। इसी तरह, न्याय तक सीमित पहुंच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जो पक्षों के सामाजिक-आर्थिक संदर्भ से आकार लेती है, विलंबित जवाबी दावे दायर करने के लिए मजबूर कर सकती है। दूसरा, आदेश VIII नियम 6B के अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल मामलों तक ही सीमित है जहाँ लिखित कथन के साथ प्रतिदावा किया जाता है। ऐसे उदाहरणों में जहां लिखित कथन में संशोधन के माध्यम से या बाद के अभिवचन के रूप में विलंबित जवाबी दावा किया जाता है, नियम 6 बी को लागू नहीं कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे किसी भी मामले में, यदि न्यायालय नियम 6 बी की तकनीकी व्याख्या पर निर्भर करता है, तो एक याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

विलंबित प्रति-दावा, प्रतिवादी तब भी इस तरह के दावे के लिए एक नया मुकदमा दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसे मामलों में, वह अलग से मुकदमा दायर करने के बाद, अदालत से मुकदमों को एक साथ रखने या उन्हें एक साथ सुनने का अनुरोध कर सकता है। इससे [2019] 17 एस. सी. आर. की प्रक्रिया में और देरी हो सकती है।

न्यायनिर्णयन और निश्चित रूप से पहले मुकदमे में वादी की मदद नहीं करेगा, जिसने विलंबित जवाबी दावा दायर करने का विरोध किया होगा। कार्यवाही की ऐसी बहुलता उस उद्देश्य के खिलाफ है जिसके साथ सी. पी. सी. में नियम 6 ए-6 जी पेश किए गए थे। इस प्रकार, आदेश VIII के तहत प्रावधानों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि एक संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, और नियम 6B को विलंबित जवाबी-दावा दायर करने की अनुमति देने के लिए न्यायालय के विवेक पर एक सीमा के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, मुझे प्रतिवादी के वकील द्वारा उठाए गए तर्क में बल नहीं मिलता है। [ पैरा 12] [240-एफ एच; 241-ए-ई]

2. सेट-ऑफ और काउंटर-क्लेम की प्रकृति अलग होती है। उदाहरण के लिए, एक सेट-ऑफ अनिवार्य रूप से एक ही प्रकृति का होना चाहिए।

वादी के दावे के रूप में और उसी लेन-देन से उत्पन्न होता है। ये आवश्यकताएँ प्रति-दावों के लिए लागू नहीं होती हैं, जो आदेश VIII नियम 6 ए (1) में बताए गए "वादी के खिलाफ प्रतिवादी को उपार्जित कार्रवाई के कारण के संबंध में किसी भी अधिकार या दावे" से संबंधित हो सकती हैं। इसके अलावा, बंद करने के मामले में, आदेश VIII नियम 6 ए (4) के समान कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें यह प्रावधान है कि बंद करने को वाद के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि विधानमंडल ने जानबूझकर नियम 6 ए में जवाबी दावे दायर करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा को छोड़ना उचित समझा है। ऐसे परिदृश्य में, इस नियम में किसी सीमा को नहीं पढ़ा जा सकता है। प्रत्यर्थी ने आदेश VIII नियम 1 ए पर भरोसा किया, जिसमें लिखित बयान के साथ-साथ जवाबी दावे के समर्थन में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए। नियम 1 ए (2) स्वयं ऐसे उदाहरण प्रदान करता है जहां ऐसे दस्तावेज प्रतिवादी के कब्जे में नहीं हैं, उसे उस व्यक्ति को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है जिसके कब्जे में दस्तावेज शेष हैं। तदनुसार, नियम 1 ए (3) (2002 में संशोधित) में यह भी प्रावधान है कि इन दस्तावेजों को अदालत की अनुमति के साथ बाद में पेश किया जा सकता है। इन प्रावधानों में दिए गए विवेकाधिकार का समर्थन किया जाता है।

इसे आगे बढ़ाने के बजाय। जब अदालतें न्याय करने के लिए निकलती हैं, तो उन्हें तकनीकीताओं के बीच अंतिम लक्ष्य की दृष्टि नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ मामलों में, इसका मतलब है कि जिन नियमों को पारंपरिक रूप से अनिवार्य माना गया है, उन्हें ढाला जा सकता है ताकि उनका उद्देश्य और मूल न्याय बाधित नहीं होता है। प्रक्रियात्मक अशोक कुमार कालरा बनाम का अर्थ लगाते समय समानता और न्याय पर सबसे अधिक विचार किया जाना चाहिए।

विंग सीडीआर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और ओआरएस।

विधानमंडल के उद्देश्य को समग्रता में निरस्त किए बिना नियम। इस प्रकार, सीमा अधिनियम के तहत नियम जो लंबे समय तक विलंबित जवाबी-दावा दायर करने की अनुमति दे सकते हैं, उनका उपयोग न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। [ पैरा 13,14 और 17] [241-डी-एच; 242-ए-बी; 242-जी-एच; 243-ए-बी]

3. भले ही नियम 6 ए लिखित बयान के बाद जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देता है, लेकिन अदालत के पास इस तरह की फाइलिंग को अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है यदि यह अत्यधिक विलंबित चरण में किया जाता है। हालाँकि, मुकदमों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, औचित्य की आवश्यकता है कि इस तरह के विवेकाधिकार का उपयोग केवल मुकदमे के लिए मुद्दों को तैयार करने तक किया जाना चाहिए। इस चरण से परे प्रति-दावों की अनुमति देने से न केवल मुकदमा लंबा चलेगा, बल्कि उन अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो समय के साथ वादी के पास निहित हो सकते हैं। साथ ही, असाधारण परिस्थितियों में, कार्यवाही की बहुलता और प्रभावी पुनर्विचार की स्थिति को रोकने के लिए, न्यायालय मुद्दों को तैयार करने के बाद भी जवाबी दावे पर विचार कर सकता है, जब तक कि न्यायालय ने साक्ष्य दर्ज करना शुरू नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।

मुद्दों को तैयार करने और साक्ष्य दर्ज करने की शुरुआत के बीच की अवधि के दौरान कार्यवाही। विलंबित प्रति-दावा दाखिल करने की अनुमति देते समय कई विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले, न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि प्रतिदावे को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण या वादी को इसकी अनुमति देने के कारण कोई अन्याय या अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है। बेशक, चूंकि प्रतिवादी के पास एक अलग मुकदमे में अपनी कार्रवाई के कारण को आगे बढ़ाने का विकल्प होगा, इसलिए प्रतिवादी के प्रति पूर्वाग्रह का सवाल आमतौर पर नहीं उठेगा। दूसरा, न्याय के हित को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए और प्रक्रिया मूल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

न्याय। तीसरा, मुकदमों की बहुलता को कम करने और प्रति-दावों के प्रावधानों में अंतर्निहित त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के विशिष्ट उद्देश्यों पर उचित विचार किया जाना चाहिए। [ पैरा 23,24] [245-डी-एच; 246-ए-डी]

कथन। हालांकि, औचित्य के लिए इस तरह के विवेक की आवश्यकता होती है मुकदमा चलाने के लिए मुद्दे तैयार होने तक जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने के लिए आम तौर पर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इस हद तक, निष्कर्ष [2019] 17 एस. सी.

विद्वान भाइयों द्वारा पहुँचाए जाने पर सहमति होती है। असाधारण परिस्थितियों में, एक जवाबी दावा लिखित बयान के बाद मंच तक दायर करने की अनुमति हो सकती है।

वादी की ओर से साक्ष्य दर्ज करने की शुरुआत। [ पैरा 25] [246-ई-जी]

रमेश चंद अर्दावतिया बनाम। अनिल पंजवानी (2003) 7

मध्य प्रदेश राज्य (1987) 3 एससीसी 265: [ 1987 ] 3 एस. सी. आर. 155; शांति रानी दास देवंजी बनाम। दिनेश

चंद्र दिवस (1997) 8 एस. सी. सी. 174: [ 1997 ] 4 पूरक।

एससीआर 177; गायत्री महिला कल्याण संघ बनाम।

गौरम्मा (2011) 2 एससीसी 330 [2011] 2 एससीआर

47 ; विजय प्रकाश जरथ बनाम। तेज प्रकाश जरथ (2016)

11 एससीसी 800-पुष्टि की गई।

सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन, टी. एन. बनाम. संघ का

भारत (2005) 6 एस. सी. सी. 344 [2005] 1 पूरक। एससीआर 929

- - पर भरोसा किया।

रोहित सिंह बनाम बिहार राज्य (2006) 12 एससीसी 734:

[ 2006 ] 7 पूरक। एस. सी. आर. 278-समझाया गया।

अशोक कुमार कालरा बनाम। विंग सीडीआर सुरेंद्र अग्निहोत्री

& ओआरएस। [ 2020 ] 2 एस. सी. सी. 394; रोहित सिंह बनाम राज्य

बिहार (2006) 12 एस. सी. सी. 734: [ 2006 ] 7 पूरक। एससीआर

278 ; बोल्लेपांडा पी. पूनाचा बनाम के. एम. मदापा,

( 2008 ) 13 एस. सी. सी. 17 [2008] 4 एस. सी. आर. 1011-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

एन. वी. रमन्ना के निर्णय में, मोहन एम. शांतनगौ और अजय रस्तोगी, जे. जे.

[ 2005 ] 1 पूरक। एससीआर 929

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4

[ 1970 ] 1 एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[ 1987 ] 3 एससीआर 155

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[ 1996 ] 2 पूरक। एससीआर 509

पै

रा 14

संदर्भित किया गया है

[ 1997 ] 4 पूरक। एससीआर 177

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

( 2016 ) 11 एससीसी 800

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[ 2008 ] 4 एससीआर 1011

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

पैरा 15 अशोक कुमार कालरा बनाम। विंग सीडीआर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और ओआरएस।

मोहन एम. शांतनगौदर के निर्णय में, जे. (आंशिक रूप से पूरक और आंशिक रूप से असहमति)

( 2020 ) 2 एस. सी. सी. 394

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2

[ 2003 ] 3 एससीआर 1149

पुष्टि की

पै

रा 9

[ 2005 ] 1 पूरक। एससीआर 929

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[ 1987 ] 3 एससीआर 155

पुष्टि की

पै

रा 11

[ 1997 ] 4 पूरक। एससीआर 177

पै

रा 11

पुष्टि की

[ 2006 ] 7 पूरक। एससीआर 278

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[ 2008 ] 4 एससीआर 1011

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[ 2011 ] 2 एससीआर 47

पै

रा 21

पुष्टि की

( 2016 ) 11 एससीसी 800

पुष्टि की

पै

रा 22

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका

( सिविल) 2018 की सं. 23599।

उच्च न्यायालय के 01.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 के सिविल संशोधन संख्या 253 में इलाहाबाद में न्यायिक न्यायालय।

के. के. त्यागी, सर्वम रितम खरे, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

दिनेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सैयद हसन इस्फ़हानी, कृष्णन मिश्रा,

यशर्थ कांत, निशांत सिंह, रोहित कुमार सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

एन. वी. रमना, जे.

1. प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में प्रश्न उल्लेखनीय रूप से निरंतर हैं।

और सामान्य विधि न्यायालयों के जीवन में सामान्य। हालांकि, एक पूर्ण प्रक्रियात्मक प्रणाली प्राप्त करना संभव या किफायती हो सकता है, बल्कि एक ही समय में लागत, समय और सटीकता को संतुलित करते हुए सार्थक भागीदारी के अधिक प्रबंधनीय मानकों की आकांक्षा करने की आवश्यकता है।

2. हमारे सामने रखा गया वर्तमान संदर्भ आदेश से निकलता है

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित दिनांक 10.09.2018, जिसमें आदेश VIII नियम की व्याख्या के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। 6 सिविल प्रक्रिया संहिता का ए (इसके बाद "सी. पी. सी". के रूप में संदर्भित), एक मुकदमे में एक प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावा दायर करने के संबंध में। द.

10.09.2018 दिनांकित संदर्भ क्रम नीचे निकाला गया हैः

9 ] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

66

माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाने वाले कागजात तीन न्यायाधीशों की पीठ के गठन के लिए भारत सरकार

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII नियम 6ए की भाषा प्रकृति में अनिवार्य है।

( जोर दिया गया)

3. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें संक्षेप में संकेत करने की आवश्यकता है

इस संदर्भ के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि। याचिकाकर्ता (प्रतिवादी नं. 2) और प्रतिवादी संख्या 1 (वादी) दिनांकित 20.11.1987 और 04.10.1989 को बेचने के समझौते के निष्पादन के संबंध में। प्रतिवादी संख्या 1 (वादी) ने याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया। 2) 02.05.2008 पर। याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) ने इसी मुकदमे में 2.12.2008 पर एक लिखित बयान और 15.3.2009 पर जवाबी दावा दायर किया। दिनांक 12.05.2009 के आदेश द्वारा, निचली अदालत ने लिखित बयान दाखिल करने और मुद्दों को तैयार करने के बाद जवाबी दावा दायर करने से संबंधित आपत्तियों को खारिज कर दिया। आई. डी. 1 दिनांकित आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, 2009 के सिविल संशोधन संख्या 253 में, उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दी और जवाबी दावे को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) ने इस न्यायालय की खंड पीठ से संपर्क किया, जिसने मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

प्रस्तुत किया कि सी. पी. सी. के आदेश VIII नियम 6ए के पीछे का इरादा जवाबी दावा दायर करने के लिए एक सक्षम प्रावधान प्रदान करना है ताकि -

कार्यवाही की बहुलता से बचें, जिससे न्यायालयों का समय बचेगा और पक्षकारों को असुविधा से बचा जा सकेगा। इसलिए, कोई विशिष्ट

प्रतिदावे पर विचार करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर वैधानिक प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय उक्त प्रावधान के तहत सीमा के जो यह प्रावधान करता है कि प्रतिदावे में कार्रवाई का कारण या तो मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव देने से पहले उत्पन्न होना चाहिए। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि जवाबी दावे की अनुमति देने से मुकदमे को आगे बढ़ाया जा सकता है और मुकदमे पर निर्णय लेने में देरी होगी, तो अदालत जवाबी दावा दायर करने की अनुमति नहीं देकर अपने विवेक का प्रयोग करना उचित ठहराएगी। सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए। भारत संघ, ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3353, और जय जय राम अशोक कुमार कालरा बनाम।

विंग सीडीआर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और ओआरएस। [ एन. वी. रमना, जे.]

मनोहर लाल बनाम। राष्ट्रीय भवन निर्माण सामग्री आपूर्ति, गुड़गांव, (1969) 1 एस. सी. सी. 869, विद्वान वकील ने अंत में प्रस्तुत किया कि प्रक्रिया के नियमों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि अंततः न्याय की विफलता हो।

5. दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि कानून की भाषा और आदेश की योजना इंगित करती है कि जवाबी दावा लिखित कथन का एक हिस्सा होना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने उपरोक्त निवेदन को इस वैधानिक आवश्यकता पर भरोसा करते हुए मजबूत किया कि लिखित बयान दाखिल करने से पहले जवाबी दावे से संबंधित कार्रवाई का कारण उत्पन्न होना चाहिए, और प्रस्तुत किया कि जवाबी दावा इसलिए लिखित बयान का एक हिस्सा होना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने सी. पी. सी. के आदेश VIII नियम 6 की भाषा पर भी भरोसा किया, जिसमें लिखित बयान का हिस्सा बनने के लिए प्रतिवादी के दावे की आवश्यकता होती है, यह सुझाव देने के लिए कि वही नियम सी. पी. सी. के आदेश VIII नियम 6 ए में जवाबी दावे से संबंधित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जवाबी दावा दायर करने पर भी लागू होने चाहिए।

6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है। पक्षकारों की ओर से दिए गए संदर्भ और तर्कों के आलोक में, निम्नलिखित

इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुद्दे उत्पन्न होते हैं:

1 ) क्या सी. पी. सी. का आदेश VIII नियम 6 ए काउंटर दाखिल करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देता है-दावा दायर करने के बाद

लिखित बयान?

2 ) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो काउंटर-दावा दाखिल करने पर क्या प्रतिबंध हैं?

लिखित वक्तव्य दाखिल करने के बाद?

7. शुरुआत में, इस बात का कोई खंडन नहीं है कि प्रक्रियात्मक न्याय मूल न्याय को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आत्मसात किया गया है। यह बात है।

राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई विस्तारित प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, जो वैधता को बढ़ाती है और आम जनता के समर्थन की सराहना करती है। दूसरी ओर, हमें निश्चितता और स्पष्टता प्रदान करने के लिए विधायी इरादे के प्रति सचेत रहना चाहिए। मौलिक न्याय के नाम पर, अपने आप में असीमित और अप्रतिबंधित अधिकार प्रदान करना निश्चितता के लिए हानिकारक होगा और अराजकता की स्थिति की ओर ले जाएगा। इस संबंध में, इस न्यायालय को दो प्रकार के न्याय को पहचानने और सामंजस्यपूर्ण रूप से सिलने की आवश्यकता है, ताकि एक प्रभावी, सटीक और सहभागी न्यायिक प्रणाली हो सके।

9 ] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. प्रक्रियात्मक न्याय की बारीकियों पर ध्यान देने के बाद, हमें इसकी आवश्यकता है

सी. पी. सी. के आदेश VIII की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए, जो लिखित बयान, बंद करने और जवाबी दावे से संबंधित है। सी. पी. सी. के आदेश VIII के नियम 1 से 5 लिखित कथन से संबंधित हैं। इस आदेश से संबंधित

लिखित कथन को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 22) (इसके बाद "2002 का अधिनियम 22" के रूप में संदर्भित) द्वारा व्यापक रूप से संशोधित किया गया था, जिसके तहत प्रतिवादी, समन की सेवा की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अपने बचाव का एक लिखित बयान प्रस्तुत करेगा। यदि वह तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे अन्य दिन, जो न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, उसे दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन जो समन की सेवा की तारीख से नब्बे दिनों के बाद नहीं होगा।

9. सी. पी. सी. का आदेश VIII नियम 6 सेट के विवरण को निर्दिष्ट करता है।

लिखित बयान में दिया जाना चाहिए और यह नीचे दिया गया हैः

आदेश VIII नियम 6:

6. सेट-ऑफ का विवरण लिखित बयान में दिया जाना हैः

( 1 ) जहां धन की वसूली के लिए एक मुकदमे में प्रतिवादी वादी की मांग के खिलाफ वादी से कानूनी रूप से वसूली योग्य किसी भी निश्चित राशि को वापस लेने का दावा करता है, जो अदालत की अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं से अधिक नहीं है, और दोनों पक्ष उसी चरित्र को भरते हैं जिसे वे वादी के मुकदमे में भरते हैं, तो प्रतिवादी मुकदमे की पहली सुनवाई में, लेकिन उसके बाद नहीं, जब तक कि अदालत द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, एक लिखित बयान प्रस्तुत कर सकता है जिसमें ऋण का विवरण होता है जिसे बंद करने की मांग की जाती है।

( 2 ) सेट-ऑफ का प्रभावः - लिखित कथन समान होगा।

एक प्रति-वाद में एक वादी के रूप में प्रभाव ताकि न्यायालय मूल दावे और रद्द किए जाने दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय देने में सक्षम हो; लेकिन यह डिक्री के तहत किसी भी वादी को देय लागतों के संबंध में निर्धारित राशि पर ग्रहणाधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

( 3 ) प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान से संबंधित नियम

आवेदन करें

बंद करने के दावे के जवाब में एक लिखित बयान।

आदेश VIII नियम 6 ए, जो जवाबी दावे से संबंधित है, पढ़ता है

निम्नानुसारः

आदेश VIII नियम 6 एः

6 ए. प्रतिवाद-प्रतिवादी द्वारा दावा-(1) किसी वाद में प्रतिवादी,

नियम 6 के तहत एक सेट-ऑफ का अनुरोध करने के उनके अधिकार के अलावा, अशोक कुमार कालरा बनाम।

विंग सीडीआर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और ओआरएस। [ एन. वी. रमना, जे.]

प्रतिवाद का-वादी के दावे के खिलाफ दावा, प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई के कारण के संबंध में कोई अधिकार या दावा वादी या तो वाद दायर करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी के अपना बचाव करने से पहले या अपना बचाव करने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले, चाहे ऐसा प्रति-दावा हर्जाने के दावे की प्रकृति का हो या न होः

बशर्ते कि ऐसा प्रतिदावा न्यायालय की अधिकारिता की आर्थिक सीमाओं से अधिक न हो।

( 2 ) इस तरह के प्रतिदावे का प्रभाव प्रतिदावे के समान होगा ताकि न्यायालय मूल दावे और प्रतिदावे दोनों पर एक ही मुकदमे में अंतिम निर्णय देने में सक्षम हो सके।

( 3 ) वादी को प्रतिवादी के जवाबी दावे के जवाब में ऐसी अवधि के भीतर लिखित बयान दायर करने की स्वतंत्रता होगी जो हो सके।

न्यायालय द्वारा तय किया जाए।

( 4 ) प्रतिदावे को एक वाद के रूप में माना जाएगा और वादियों पर लागू नियमों द्वारा शासित किया जाएगा। 10. इस प्रकार, आदेश VIII नियम 6 सी. पी. सी. के अनुसार, प्रतिवादी अपने द्वारा कानूनी रूप से वसूली योग्य किसी भी निश्चित राशि के भुगतान का दावा कर सकता है।

वादी से, वादी की मांग के खिलाफ, धन की वसूली के लिए एक मुकदमे में। जबकि, नियम 6 ए प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावे से संबंधित है, जिसके अनुसार एक मुकदमे में प्रतिवादी, नियम 6 के तहत एक सेट-ऑफ का अनुरोध करने के अपने अधिकार के अलावा, वादी के दावे के खिलाफ प्रतिदावे के माध्यम से, किसी कारण के संबंध में कोई अधिकार या दावा स्थापित कर सकता है।

वादी के खिलाफ प्रतिवादी को या तो पहले या उससे पहले उपार्जित कार्रवाई

मुकदमा दायर करने के बाद लेकिन प्रतिवादी के अपना बचाव करने से पहले या अपना बचाव करने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने से पहले, क्या ऐसा प्रति-दावा हर्जाने के दावे की प्रकृति में है या

नहीं।

11. प्रतिदावे को एक वाद के रूप में माना जाएगा और वादियों पर लागू नियमों द्वारा शासित किया जाएगा। आदेश VIII नियम 6-G कहता है कि

प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान से संबंधित नियम जवाबी दावे के जवाब में दायर लिखित बयान पर लागू होंगे। नियम 8 के अनुसार, बचाव का कोई भी आधार जो वाद की स्थापना के बाद उत्पन्न हुआ है। या प्रतिवादी या वादी द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने लिखित बयान में, एक सेट-ऑफ या काउंटर क्लेम का दावा करने वाले लिखित बयान की प्रस्तुति को उठाया जा सकता है। आदेश VIII का नियम 9 प्रतिवादी अन्य [2019] 17 एस. सी. आर. के लिखित बयान के बाद अभिवचनों की प्रस्तुति को प्रतिबंधित करता है।

न्यायालय की अनुमति के अलावा, बचाव के माध्यम से या प्रतिवाद के रूप में, और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय उचित समझता है; और प्रावधान आगे यह निर्धारित करता है कि न्यायालय किसी भी समय किसी भी पक्ष से लिखित बयान या अतिरिक्त लिखित बयान की आवश्यकता कर सकता है और इसे प्रस्तुत करने के लिए तीस दिनों से अधिक का समय निर्धारित नहीं कर सकता है। बाद के अभिवचनों के संबंध में यह संशोधन 2002 के अधिनियम 22 के माध्यम से सी. पी. सी. में किया गया था। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम आदेश VIII नियम 6A के तहत जवाबी दावा दायर करने की शर्तों पर ध्यान दे सकते हैं।

आई. प्रति-दावा नुकसान के दावे के लिए या अन्यथा हो सकता है।

ii. प्रति-दावा कार्रवाई के कारण से संबंधित होना चाहिए, जो मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में भी जमा हो सकता है।

iii. यदि काउंटर-क्लेम में कार्रवाई का कारण मुकदमा दायर करने के बाद उपार्जित होने से संबंधित है, तो यह लिखित बयान दाखिल करने से पहले या दिए गए समय से उपार्जित होना चाहिए।

उसी के लिए।

जब हम आदेश VIII सी. पी. सी. की पूरी योजना को देखते हैं, तो यह

स्पष्ट रूप से लिखित बयान के देर से दाखिल करने पर प्रतिबंध लगाकर न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के विधायी इरादे की ओर इशारा करते हैं, और दावा रद्द कर देते हैं।

12. हमें इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि नियम 6ए को सी. पी. सी. में सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा पेश किया गया था।

( 1976 का अधिनियम (आई. डी. 1), और संशोधन से पहले, धन के मुकदमों को छोड़कर, अन्य मुकदमों में प्रति-दावा या बंद करने का अनुरोध नहीं किया जा सकता था। भारत के विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार, बचने के लिए कार्यवाही की बहुलता, नियम 6ए के माध्यम से जवाबी दावा सिविल प्रक्रिया संहिता में डाला गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम No.104) को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण थाः

1 ) एक वादी को इसके अनुसार निष्पक्ष सुनवाई मिलनी चाहिए

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को स्वीकार किया।

2 ) दीवानी मुकदमों और कार्यवाही के निपटारे में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि न्याय न हो।

विलंबित;

3 ) प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए और यथासंभव, समुदाय के गरीब वर्गों के लिए उचित सौदा सुनिश्चित करना चाहिए, जिनके पास अपने मामलों का बचाव करने के लिए एक वकील को शामिल करने का साधन नहीं है।

अशोक कुमार कालरा बनाम। विंग सीडीआर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और ओआरएस। [ एन. वी. रमना, जे.]

13. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम यह ध्यान रखना उचित समझते हैं कि प्रक्रियात्मक कानून के तहत किसी भी प्रावधान का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जाना चाहिए -

इस तरह से कि यह न्यायालय को असहाय छोड़ देगा [सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन मामले (उपरोक्त) को देखें]। वास्तव में दीवानी अदालत को मुकदमे के प्रक्रियात्मक तत्वों के बारे में व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, प्रक्रियात्मक कानून एक अत्याचारी नहीं बल्कि एक सेवक होना चाहिए, न कि एक बाधा बल्कि न्याय के लिए एक सहायता।

14. अब हमें इस न्यायालय के कुछ पहले के फैसलों का पालन करने की आवश्यकता है जो आदेश VIII नियम 6A से संबंधित हैं। महेंद्र कुमार में

और एन. आर. वी. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। , ( 1987 ) 3 एस. सी. सी. 265 [इसके बाद 'महेन्द्र कुमार मामला' के रूप में संदर्भित], जहां भारतीय खजाना कोष अधिनियम, 1878 की धारा 14 के तहत वर्जित जवाबी दावे को खारिज करने में नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ अपीलों को प्राथमिकता दी गई थी, इस न्यायालय ने, के दायरे पर विचार करते हुए

जग मोहन चावला एंड अदर वी. में भी प्रतिदावा दाखिल करने के लिए सीमा अवधि की प्रयोज्यता पर चर्चा की गई थी। डेरा राधा स्वामी सतसंग और अन्य। , ( 1996 ) 4 एस. सी. सी. 699 और शांति रानी दास देवंजी (श्रीमती) बनाम। एल. आर. द्वारा दिनेश चंद्र दिवस (मृत)। , ( 1997 ) 8 एससीसी 174। 15. विजय प्रकाश जरथ बनाम के मामले में। तेज प्रकाश जरथ, (2016) 11 एस. सी. सी. 800, इस न्यायालय ने नीचे दिए गए न्यायालय को प्रति-दावे पर विचार करने का निर्देश दिया, जो मुद्दों को तैयार करने के ढाई साल बाद दायर किया गया था।

साक्ष्य अभी भी लंबित था और इस न्यायालय ने महसूस किया कि वादी को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। हालाँकि, बोल्लेपांडा पी. पूनाचा और अन्न के मामले में। वी. के. एम. मडपा, (2008) 13 एस. सी. सी. 179 [इसके बाद 'बोल्लेपांडा पूनाचा मामला' के रूप में संदर्भित], इस न्यायालय ने रमेश चंद अर्दावतिया बनाम का उल्लेख करते हुए। अनिल पंजवानी, (2003) 7 एस. सी. सी. 350 ने जवाबी दावे देर से दायर करने को हतोत्साहित किया। इसके अलावा, न्यायालय ने इस तरह के विलंबित फाइलिंग की अनुमति देने से होने वाले गंभीर नुकसान पर स्पष्टीकरण दिया।

9 ] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी मामले में, बोल्लेपांडा पूनाचा मामले (उपरोक्त) में, न्यायालय आगे कोई व्याख्या नहीं कर सका क्योंकि जवाबी दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कार्रवाई का कारण लिखित याचिका दायर करने के बाद उत्पन्न हुआ था। बयान।

कार्रवाई के कारण का संचय प्रदान किया गया है। जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों में उल्लेख किया गया है, आगे की जटिलताएं इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं कि एक लिखित कथन में संशोधन की संभावना। हालांकि, हम कह सकते हैं कि एक मुकदमे में जवाबी दावा दायर करने का अधिकार स्पष्ट रूप से आदेश के तहत कार्रवाई के कारण के संचय के लिए प्रदान किए गए प्रतिबंध द्वारा सीमित है।

VIII नियम 6 ए। ऐसा कहने के बाद, इसका मतलब यह नहीं है कि लिखित बयान दाखिल करने के बाद किसी भी समय जवाबी दावा दायर किया जा सकता है। चूंकि प्रतिदावे को वाद माना जाता है, आम तौर पर इसे सबसे पहले सीमा अधिनियम, 1963 के तहत प्रदान की गई सीमा का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है क्योंकि समय-वर्जित मुकदमों पर प्रतिदावे की आड़ में केवल इस तथ्य के कारण विचार नहीं किया जा सकता है कि कार्रवाई का कारण -

आदेश VIII नियम 6 ए के मापदंड। 17. जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में चर्चा की है, प्रक्रियात्मक कानून का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त न्याय देने की प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जाए।

विशेष रूप से, सी. पी. सी. के आदेश VIII में नियम 6 ए को लागू करने का उद्देश्य पक्षों को अलग-अलग मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित करके कार्यवाही की बहुलता से बचना है और यह देखना है कि पक्षों के बीच विवाद का अंत में निर्णय हो। यदि प्रावधान की व्याख्या इस तरह से की जाती है कि जवाबी दावे को देर से भरने की अनुमति दी जाए, तो प्रावधान ही निरर्थक हो जाता है और जिस उद्देश्य के लिए संशोधन किया जाता है वह विफल हो जाएगा और

अंततः यह न्याय की घोर विफलता की ओर ले जाता है। साथ ही, एक कठोर और अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं हो सकता है कि प्रावधान यह निर्धारित करता है कि जवाबी दावा लिखित बयान के साथ दायर किया जाना है और इसके अलावा, न्यायालय के पास कोई शक्ति नहीं है। न्यायालयों को प्रतिवाद के समर्थन में बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, संशोधन के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। यह कहने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है कि किसी विशेष समय में अदालतों को दिए गए विवेकाधिकार को कम करके जवाबी दावा दायर किया जाना चाहिए। निचली अदालत को विवेकपूर्ण तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग करना होगा और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि जवाबी दावे की अनुमति देने से, विरोधी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से देरी नहीं होती है और यही बात अशोक कुमार कालरा बनाम में भी है।

विंग सीडीआर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और ओआरएस। [ एन. वी. रमना, जे.]

न्याय के सर्वोत्तम हित और संशोधन के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुसार। लेकिन फिर भी, हमारी यह सुविचारित राय है कि प्रतिवादी को मुद्दे तैयार होने के बाद और मुकदमा काफी हद तक आगे बढ़ने के बाद जवाबी दावा दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह न्याय के उद्देश्य को विफल कर देगा और त्वरित न्याय के सिद्धांत के लिए हानिकारक होगा जैसा कि विशेष उद्देश्यों और कारणों में निहित है।

सीपीसी में संशोधन।

18. इस संबंध में कानून को स्पष्ट करने के बाद, हम ध्यान दे सकते हैं कि महेंद्र कुमार मामले (उपरोक्त) को समझने और प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। उस मामले के तथ्यों के लिए। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि भले ही कोई जवाबी दावा सीमा अवधि के भीतर दायर किया जाता है, लेकिन निचली अदालत को त्वरित सुनवाई के अधिकार और जवाबी दावा दायर करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि मूल न्याय पराजित न हो। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न विचारों द्वारा प्रतिदावे की रखरखाव क्षमता का पता लगाने के लिए विचारण न्यायालय का विवेकाधिकार सीमित है। हम यह इंगित कर सकते हैं कि एक स्ट्रैटजैकेट सूत्र नहीं हो सकता है, बल्कि ऐसे कई कारक हैं जिन पर जवाबी दावे को स्वीकार करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है।

19. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि किसी भी विपरीत व्याख्या से प्रतिवादी के प्रतिवाद दायर करने के अधिकार में अनावश्यक कटौती होगी।

इस न्यायालय को देश भर में वादियों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को पहचानने की आवश्यकता है। त्वरित न्याय के प्रशंसनीय लक्ष्य को प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता है, बल्कि प्रभावी न्याय जिसमें सभी पक्षों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है, उसे भी मान्यता देने की आवश्यकता है।

20. हम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं कि सी. पी. सी. का आदेश VIII नियम 6 ए

लिखित बयान दाखिल करने के बाद जवाबी दावा दायर करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, बल्कि प्रतिबंध केवल कार्रवाई के कारण के संचय के संबंध में है। ऐसा कहने के बाद, यह नहीं देता है प्रतिवादी को पर्याप्त देरी के साथ जवाबी दावा दायर करने का पूर्ण अधिकार, भले ही निर्धारित सीमा अवधि बीत न गई हो। अदालत को प्रतिवाद दायर करने की बाहरी सीमा को ध्यान में रखना होगा-दावा,

जो मुद्दों के तैयार होने तक तय किया जाता है। ऐसे मामलों में अदालत को नीचे दिए गए समावेशी कारकों पर विचार करने और उनका मूल्यांकन करने के बाद जवाबी दावा दायर करने पर विचार करने का विवेकाधिकार है, जो केवल उदाहरणात्मक हैं, हालांकि संपूर्ण नहीं हैं:

आई. विलंब की अवधि।

ii. कार्रवाई के कारण के लिए निर्धारित सीमा अवधि गुहार लगाई।

iii. देरी का कारण।

iv. प्रतिवादी का अपने अधिकार का दावा।

वी. मुख्य मुक़दमे के बीच कार्रवाई के कारण की समानता और प्रतिवाद-दावा।

vi. नए मुकदमे की लागत।

vii. अन्याय और प्रक्रिया का दुरुपयोग।

viii. विरोधी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह।

ix. और प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।

x. किसी भी मामले में, मुद्दों को तैयार करने के बाद नहीं।

21. हम संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार देते हैं। तत्काल विशेष अनुमति याचिका को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जा सकता है। गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करना।

मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

1. मैंने अपने विद्वान भाइयों द्वारा इस संदर्भ में दी गई राय को पढ़ा है। मैं उनके इस निष्कर्ष से सहमत हूं कि एक न्यायालय अपने निर्णय का प्रयोग कर सकता है।

विवेकाधिकार और लिखित बयान के बाद, मुकदमे के मुद्दों को तैयार करने के चरण तक, जवाबी दावा दायर करने की अनुमति दें। हालाँकि, इसके अलावा, मैं पाता हूँ कि असाधारण परिस्थितियों में,

बाद में जवाबी दावा दायर करने की अनुमति वादी की ओर से साक्ष्य दर्ज करने की शुरुआत के चरण तक दी जा सकती है। मैं इस राय के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को बताना उचित समझता हूं।

2. यह संदर्भ अशोक कुमार कालरा बनाम में एसएलपी (सी) संख्या 23599/2018 में इस न्यायालय के दिनांक 10.09.2018 के आदेश से उत्पन्न होता है। विंग सीडीआर सुरेंद्र अग्निहोत्री और अन्य। , जो निम्नलिखित रूप में कहता है:

" के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाने वाले कागजात

हमारे पिछले निर्णयों के प्रभाव के साथ-साथ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII नियम 6A की भाषा अनिवार्य है या नहीं, इस पर गौर करने के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ के गठन के लिए भारत

प्रकृति में "। अशोक कुमार कालरा बनाम। विंग सीडीआर। सुरेंद्र अग्निहोत्री और ओआरएस। [ मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

अनिवार्य रूप से, इस न्यायालय के पिछले फैसलों के आलोक में, इस न्यायालय को संदर्भित प्रश्न यह है कि क्या यह एक काउंटर के लिए अनिवार्य है। प्रतिवादी का दावा लिखित बयान के साथ दायर किया जाना है।

3. दोनों पक्षों के वकील ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 6 ए के दायरे के बारे में तर्क दिया [इसके बाद "सीपीसी"]

और क्या लिखित कथन के साथ एक प्रति-दावा अनिवार्य रूप से दायर किया जाना चाहिए। चूँकि तर्कों को मेरे विद्वान भाई न्यायाधीश द्वारा विस्तृत किया गया है, इसलिए उन्हें संक्षिप्तता के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. इस मामले में कानूनी प्रश्नों के विस्तार को पूरी तरह से समझने के लिए, उस संदर्भ की सराहना करना आवश्यक है जिसमें सी. पी. सी. में प्रति-दावों से संबंधित नियम पेश किए गए थे। मूल रूप से 1908 में अधिनियमित सी. पी. सी. ने जवाबी दावा दायर करने का वैधानिक अधिकार प्रदान नहीं किया था। उस समय, आदेश VIII केवल लिखित बयानों और स्थगन से संबंधित था। इस चूक को ध्यान में रखते हुए, भारत के विधि आयोग ने अपनी 27 वीं और 54 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि

काउंटर-क्लेम को सी. पी. सी. में शामिल किया जाना चाहिए ताकि कई कार्यवाहियों से बचा जा सके और इस बात पर अस्पष्टता को दूर किया जा सके कि क्या काउंटर-क्लेम को बिल्कुल भी स्वीकार किया जा सकता है। इन सिफारिशों को लागू किया गया सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से, जिसने सी. पी. सी. के आदेश VIII में निम्नलिखित नियम पेश किए:

" नियम 6 ए। प्रतिवाद-प्रतिवादी द्वारा दावा। —

( 1 ) मुक़दमे में प्रतिवादी, नियम 6 के तहत मुक़दमा रद्द करने का अनुरोध करने के अपने अधिकार के अलावा, वादी के दावे के खिलाफ जवाबी दावे के माध्यम से, कोई भी अधिकार स्थापित कर सकता है।

या वाद दायर करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव करने से पहले या अपना बचाव करने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले, वादी के खिलाफ प्रतिवादी को उपार्जित कार्रवाई के कारण के संबंध में दावा, चाहे वह जवाबी दावा हो।

हानि के लिए दावे की प्रकृति या नहीं:

बशर्ते कि ऐसा प्रतिवाद न्यायालय की अधिकारिता की आर्थिक सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

( 2 ) इस तरह के प्रतिदावे का प्रभाव प्रतिदावे के समान होगा ताकि न्यायालय मूल दावे और दोनों पर एक ही मुकदमे में अंतिम निर्णय देने में सक्षम हो सके।

काउंटर पर-दावा।

( 3 ) वादी प्रतिवादी के दावे के जवाब में एक लिखित बयान दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ऐसी अवधि जो न्यायालय द्वारा नियत की जाए।

( 4 ) प्रतिदावे को एक वाद के रूप में माना जाएगा और

मैदानों पर लागू नियमों द्वारा शासित।

6 बी. काउंटर-बताए जाने का दावा। जहाँ कोई प्रतिवादी प्रतिवाद के अधिकार का समर्थन करने के लिए किसी भी आधार पर भरोसा करना चाहता है,

वह अपने लिखित कथन में विशेष रूप से बताएगा कि वह जवाबी दावे के माध्यम से ऐसा करता है। 6 सी. प्रति-दावे का बहिष्करण। जहाँ एक प्रतिवादी स्थापित होता है

एक प्रतिवाद और वादी का तर्क है कि इस प्रकार उठाए गए दावे का प्रतिवाद के माध्यम से निपटारा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एक स्वतंत्र मुकदमे में, वादी, प्रतिवाद के संबंध में मुद्दों के निपटारे से पहले किसी भी समय, एक आदेश के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि इस तरह के प्रतिवाद को बाहर रखा जा सकता है, और न्यायालय, ऐसे आवेदन की सुनवाई पर ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

6 डी. मुक़दमे को बंद करने का प्रभाव। अगर किसी भी मामले में

प्रतिवादी एक प्रति-दावा स्थापित करता है, वादी का मुकदमा है

रोक दिया गया, बंद कर दिया गया या खारिज कर दिया गया, काउंटर-दावा हो सकता है फिर भी आगे बढ़ें।

6 ई. प्रतिवाद का जवाब देने में वादी की चूक। अगर

वादी काउंटर का जवाब देने में चूक करता है-दावा

प्रतिवादी द्वारा किया गया, न्यायालय निर्णय सुना सकता है

वादी के विरुद्ध उसके विरुद्ध किए गए प्रतिदावे के संबंध में, या प्रतिदावे के संबंध में ऐसा आदेश दें जो वह उचित समझे।

6 एफ. प्रतिवादी को राहत जहां प्रतिदावा सफल होता है।

जहाँ किसी भी वाद में एक सेट-ऑफ या काउंटर-दावा स्थापित किया जाता है

वादी के दावे के खिलाफ बचाव, और कोई भी संतुलन पाया जाता है वादी या प्रतिवादी के कारण, जैसा भी मामला हो, न्यायालय इस तरह के संतुलन के हकदार पक्ष को निर्णय दे सकता है।

एक प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान के संबंध में एक पर लागू होगा एक जवाबी दावे के जवाब में दायर लिखित बयान।

5. पहली बार, नियम 6 ए-6 जी से आर VIII की शुरुआत के माध्यम से, अशोक कुमार कालरा बनाम को जवाबी दावा दायर करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया था।

विंग सीडीआर। सुरेंद्र

अग्निहोत्री और ओआरएस। [ मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

प्रतिवादी और उन्हें नियंत्रित करने वाले नियम निर्धारित किए गए थे। इस योजना में नियम 6 ए (1) आधारशिला प्रावधान है। यह विशेष रूप से जवाबी दावा दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा, यह एक जवाबी दावे के लिए कार्रवाई के कारण के संचय पर एक स्पष्ट सीमा भी रखता है। यह इस आवश्यकता के रूप में है कि प्रतिदावे से संबंधित कार्रवाई का कारण या तो मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव करने से पहले (यानी लिखित बयान दाखिल करने से पहले), या इस तरह का बचाव करने के लिए समय अवधि समाप्त होने से पहले उत्पन्न होना चाहिए।

इसके अलावा, नियम 6 ए (2) के तहत, एक जवाबी दावे के बारे में कहा गया है -

एक प्रति-वाद में वाद के समान प्रभाव, ताकि न्यायालय मूल दावे के साथ-साथ प्रतिवाद पर अंतिम निर्णय देने में सक्षम हो

उसी वाद में दावा करें। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियम 6 ए को बहुतायत से बचने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है।

कार्यवाही।

6. यह स्पष्ट है कि नियम 6 ए (1) केवल समय की सीमा निर्धारित करता है।

जिसके भीतर प्रतिदावे के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न होना चाहिए। इस सीमा के अलावा, नियम 6 ए (1) में इस बारे में कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं है कि किस समय के भीतर जवाबी दावा दायर किया जाना चाहिए। इस संबंध में नियम 6 ए (4) में प्रावधान किया गया है कि प्रतिदावे पर लागू होने वाले नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि शिकायत को सीमा अधिनियम, 1963 [इसके बाद "सीमा अधिनियम"] के तहत निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रति-दावों के लिए भी, जिस अवधि के भीतर उन्हें दाखिल किया जाना चाहिए, उसका अनुमान सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (2) (बी) (ii) से लगाया जा सकता है, जिसमें इस प्रकार कहा गया हैः

" ( 2 ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,

स्थापित किया गया

( (ii) प्रतिदावे के मामले में, जिस तारीख को -

अदालत में जवाबी दावा किया जाता है; "

( जोर दिया गया)

यह प्रावधान अनिवार्य करता है कि सीमा निर्धारित करने के लिए

प्रतिदावे पर लागू होने की अवधि में, इसे एक अलग वाद के रूप में माना जाना चाहिए, जिसे उस तारीख को स्थापित किया गया माना जाता है जिस दिन इसे न्यायालय में किया जाता है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, [2019] 17 एस. सी. आर. के प्रावधानों के अनुरूप।

आदेश VIII नियम 6 ए (4), सीमा अधिनियम भी एक प्रति-दावे को एक वाद की तरह मानता है। इसका मतलब यह है कि एक शिकायत की तरह, जवाबी दावा दायर करने की सीमा भी दावे की प्रकृति पर निर्भर करती है और है तदनुसार सीमा अधिनियम में निर्धारित सीमा की अवधि द्वारा शासित।

7. पूर्वगामी चर्चा से यह स्पष्ट है कि एक प्रतिवाद-दावा

दो शर्तों को पूरा करने पर दायर किया जा सकता हैः पहला, इसकी कार्रवाई का कारण आदेश VIII नियम 6 ए (1) का अनुपालन करता है और दूसरा, यह सीमा अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर दायर किया जाता है। स्पष्ट रूप से, अपने आप में, नियम 6 ए में विशेष रूप से यह आवश्यकता नहीं है कि लिखित कथन के साथ एक जवाबी दावा दायर किया जाए। इस नियम के तहत किसी विशेष अधिदेश के अभाव में, यह निर्धारित करने के लिए सी. पी. सी. के अन्य प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक है कि क्या लिखित बयान के बाद जवाबी दावा दायर किया जा सकता है।

8. आदेश के संदर्भ से शुरुआत करना उचित होगा।

VIII नियम 9, जो इस प्रकार कहता हैः

" 9. बाद की दलीलें। इसके बाद कोई निवेदन नहीं

बचाव के अलावा किसी प्रतिवादी का लिखित बयान

बंद करने या प्रतिवाद करने के लिए-अनुमति के अलावा दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

न्यायालय की और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय उचित समझता है; लेकिन

न्यायालय को किसी भी समय लिखित बयान या अतिरिक्त विवरण की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी पक्ष से लिखित बयान और न करने का समय तय करें

उसी को प्रस्तुत करने के लिए तीस दिनों से अधिक।

( जोर दिया गया)

इस नियम के अनुसार, लिखित बयान दाखिल करने के बाद,

यह एक सेट-ऑफ या काउंटर-दावे के लिए बचाव का अनुरोध करने के लिए खुला है

न्यायालय की अनुमति। हालांकि, लिखित बयान के बाद दायर की जाने वाली किसी भी अन्य याचिका के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है। नियम न्यायालय को तीस दिनों से अधिक की अवधि के भीतर लिखित बयान या अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार भी देता है।

आदेश VIII नियम 9 के एक सादे पठन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय

उसके पास ऐसी शर्तों पर किसी भी बाद की अभिवचन की अनुमति देने का विवेकाधिकार है जो वह उचित समझता है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के बाद के अभिवचन या अतिरिक्त लिखित बयान में एक जवाबी दावा शामिल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियम 9 उन दावों की प्रकृति पर कोई रोक नहीं लगाता है जिन्हें बाद के अभिवचनों के रूप में उठाया जा सकता है। जब तक न्यायालय यह मानता है कि बाद में अभिवचन के माध्यम से प्रतिदावे की अनुमति देना उचित होगा, तब तक प्रतिदावे दायर करने के बाद प्रतिदावे दायर करना संभव है।

लिखित कथन।

अशोक कुमार कालरा बनाम। विंग सीडीआर। सुरेंद्र

अग्निहोत्री और ओआरएस। [ मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

इसके अलावा, एक विलंबित काउंटर पेश करना भी संभव है।

आदेश VI नियम 17, सी. पी. सी. के तहत मूल लिखित कथन में संशोधन के माध्यम से दावा। हालांकि, जैसा कि आदेश VIII नियम 9 के मामले में है, एक संशोधित लिखित बयान के माध्यम से इस तरह के जवाबी दावे को दायर करना अदालत की अनुमति के अधीन है, और प्रतिवादी को अधिकार के मामले के रूप में नहीं दिया गया है।

9. इस संबंध में टिप्पणियों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा।

रमेश चंद अर्दावतिया बनाम में इस न्यायालय का। अनिल पंजवानी, (2003)

7 एससीसी 350:

" 28. अधिनियम 104 द्वारा संशोधित आदेश 8 की योजना को देखते हुए

1976 से, हमारी राय है, कि तीन तरीके हैं

दीवानी मुक़दमे में प्रतिदावा करना या स्थापित करना। सबसे पहले,

नियम 1 के तहत दायर लिखित बयान में ही एक काउंटर हो सकता है दावा जो नियम 1 के आलोक में नियम 6-ए के साथ पढ़ा जाएगा

प्रति-दावे को संशोधन के माध्यम से प्राथमिकता दी जा सकती है एक लिखित में अदालत की अनुमति के अधीन निगमित

अधिकार के रूप में अभिलेख पर लाया गया लेकिन द्वारा शासित किया जाएगा आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के तहत अदालत में निहित विवेकाधिकार

यदि संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत करने की मांग की जाती है, या, इसके अधीन

आदेश 8 नियम के तहत अदालत को दिए गए विवेकाधिकार का प्रयोग

9 सी. पी. सी. अगर बाद के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहता है गुहार लगाएँ "।

( जोर दिया गया)

मैं इस प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूं, और इसके आधार पर पुष्टि करता हूं

पूर्वगामी चर्चा कि न्यायालय को अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए लिखित बयान के बाद जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार है सी. पी. सी. के आदेश VIII नियम 9 और आदेश VI नियम 17 के तहत।

10. आदेश VIII नियम 10 से यह भी पता लगाया जा सकता है कि

आदेश VIII, सी. पी. सी. की योजना के तहत विलंबित जवाबी-दावा दायर करने की अनुमतिः

" 10. प्रक्रिया जब पक्ष लिखित रूप से प्रस्तुत करने में विफल रहता है

न्यायालय द्वारा माँगा गया बयान। जहाँ से कोई भी पार्टी [2019] 17 एस. सी. आर.

नियम 1 या नियम 9 के तहत एक लिखित बयान की आवश्यकता होती है न्यायालय द्वारा अनुमत या निर्धारित समय के भीतर उसी को प्रस्तुत करना,

जैसा भी मामला हो, न्यायालय इसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा।

उसे, या मुक़दमे के संबंध में ऐसा आदेश दें जो वह उचित समझे और

इस तरह के निर्णय की घोषणा पर एक डिक्री तैयार की जाएगी।

ऊपर। "

( जोर दिया गया)

इस नियम के तहत, न्यायालय को पारित करने का विवेकाधिकार दिया गया है

आदेश दें कि यह उस स्थिति में उपयुक्त लगता है जब एक लिखित कथन नहीं है

निर्धारित वैधानिक सीमा के भीतर। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या

इटियन का विस्तार विलंबित काउंटर-दावे को दाखिल करने की अनुमति देने तक है

विवेकाधिकार के दायरे की सराहना करना उपयोगी होगा

इस प्रावधान के तहत कटौती।

सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन में, टी. एन. बनाम. भारत संघ,

5 ) 6 एस. सी. सी. 344, यह न्यायालय, आदेश VIII की प्रकृति का अर्थ लगाते हुए

1 , आदेश VIII नियम के तहत व्यापक विवेकाधीन शक्ति पर भरोसा किया

एन. डी. निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 21. इस प्रावधान को लागू करने में, समर्थन भी प्राप्त किया जा सकता है आदेश 8 नियम 10 जो प्रदान करता है कि जहां से कोई भी पक्ष

जिनके लिए नियम 1 या नियम 9 के तहत लिखित बयान की आवश्यकता होती है,

द्वारा अनुमत या निर्धारित समय के भीतर उसी को प्रस्तुत करने में विफल रहता है

अदालत, अदालत उसके खिलाफ फैसला सुनाएगी, या

वाद के संबंध में ऐसा अन्य आदेश जो वह उचित समझे। निर्माण में

आदेश 8 नियम 1 और नियम 10 का प्रावधान,

यह होगा कि नियम 10 आदेश 8 के तहत, अदालत अपने विवेकाधिकार में प्रतिवादी को लिखित रूप से दाखिल करने की अनुमति देने की शक्ति होगी

90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी विवरण

आदेश 8 नियम 1. आदेश 8 नियम 10 में कोई प्रतिबंध नहीं है कि

नब्बे दिनों की समाप्ति के बाद, आगे का समय नहीं दिया जा सकता है। द.

अदालत के पास मुकदमे के संबंध में ऐसा आदेश देने की व्यापक शक्ति है।

जैसा कि यह उचित समझता है "। स्पष्ट रूप से, इसलिए, आदेश 8 नियम का प्रावधान

1 लिखित विवरण दाखिल करने के लिए 90 दिनों की ऊपरी सीमा का प्रावधान

निर्देशिका है "।

( जोर दिया गया)

इस प्रकार, आदेश VIII नियम 10 के तहत, न्यायालय के पास शक्ति है -

एक लिखित बयान दाखिल करने में देरी, यदि वह इसे अशोक कुमार कालरा बनाम में उपयुक्त समझता है।

विंग सीडीआर। सुरेंद्र

अग्निहोत्री और ओआरएस। [ मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ। यदि ऐसा है, तो इसका कोई कारण नहीं है कि प्रतिदावा दायर करने में देरी को न्यायालय द्वारा भी माफ नहीं किया जा सकता है।

11. के नियम 6 ए, 9 और 10 का एक संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण पठन

आदेश VIII के साथ-साथ आदेश VI नियम 17, सी. पी. सी. इस प्रकार बताता है कि

अदालत को लिखित बयान दाखिल करने के बाद भी जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार है, जब तक कि वह सीमा अधिनियम, 1963 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर हो। इस संबंध में, मैं निर्णयों में निर्धारित प्रस्तावों से सहमत हूं।

नीचे चर्चा की गई है।

महेंद्र कुमार बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (1987) 3

एस. सी. सी. 265, यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

" 15. अगला बिंदु जिस पर विचार किया जाना बाकी है वह यह है कि क्या नियम

6 - सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 का ए (1) दाखिल करने पर रोक लगाता है।

एक जवाबी दावा-एक लिखित बयान दाखिल करने के बाद। यह

बात हमें लंबे समय तक रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियम 6-ए (1) पर नहीं है

इसके बावजूद, प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावा दायर करने पर रोक लगाएँ। उन्होंने लिखित बयान दाखिल किया था। नियम के तहत क्या निर्धारित किया गया है

प्रतिवादी के होने से पहले प्रतिवादी को कार्रवाई की गई थी अपना बचाव किया या उसे देने के लिए सीमित समय से पहले

बचाव की अवधि समाप्त हो गई है, क्या ऐसा प्रति-दावा प्रकृति में है

हानि के लिए दावा या नहीं। उच्च न्यायालय, हमारी राय में,

नियम 6-ए (1) के प्रावधान को गलत समझा और गलत समझा है

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि जैसा कि अपीलकर्ताओं ने जवाबी-दावा दायर किया था लिखित बयान दाखिल करना, काउंटर-दावा नहीं था

बनाए रखने योग्य। सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 113 के तहत,

मुकदमा करने के अधिकार की तारीख से तीन साल की सीमा की अवधि

उपार्जित राशि, किसी भी मुकदमे के लिए प्रदान की गई है जिसके लिए कोई अवधि नहीं है

अनुसूची में कहीं और सीमा प्रदान की गई है। यह विवादित नहीं है

कि एक जवाबी दावा, जिसे धारा के तहत एक मुकदमे के रूप में माना जाता है 3 ( 2 ) ( ख) अपीलार्थियों द्वारा सीमा अधिनियम की धारा दायर की गई है।

उन्हें अधिकार प्राप्त होने की तारीख से तीन साल के भीतर

मुकदमा करना "।

( जोर दिया गया)

शांति रानी दास देवंजी बनाम। दिनेश चंद्र दिवस, (1997)

8 एस. सी. सी. 174, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जवाबी दावा दायर करने का अधिकार कार्रवाई के कारण के संचय की तारीख के लिए संदर्भित हैः

9 ] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 2. हमारे विचार में, विवादित निर्णय उचित नहीं है।

हस्तक्षेप। इस तरह का सवाल विशेष रूप से इससे पहले उठाया गया था महेंद्र कुमार बनाम में न्यायालय। एम. पी. राज्य [(1987) 3 एस. सी. सी. 265]

इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिवाद दायर करने का अधिकार-दावा

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII नियम 6-ए के तहत है

कार्रवाई के कारण के संचय की तारीख के लिए संदर्भित। अगर मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में कार्रवाई का कारण सामने आया था,

और कार्रवाई का ऐसा कारण लिखित रूप से दाखिल करने की तारीख तक जारी रहा

बयान या लिखित बयान दाखिल करने की विस्तारित तिथि, जैसे

लिखित बयान दाखिल करने के बाद भी जवाबी दावा दायर किया जा सकता है।

आदेश VIII नियम 6-ए के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया है। उत्तरदाताओं को 15-7-1982 पर स्थापित किया गया था और आवेदन के तहत

आदेश VIII नियम 6-ए को 22-6-1985 पर प्रस्तुत किया गया था। यह नहीं हो सकता।

अभिनिर्धारित किया कि वाद या प्रतिवाद के लिए कार्रवाई का कारण था

सीमा अधिनियम के तहत सीमा द्वारा प्रतिबंधित "

( जोर दिया गया)

मैं एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हूं।

उपरोक्त निर्णयों में पाए गए निर्णय की तुलना में।

12. प्रत्यर्थी के वकील ने तर्क दिया कि आदेश VIII

नियम 6 ए (1) में यह अपेक्षा की गई है कि जवाबी दावे के लिए कार्रवाई का कारण लिखित बयान दाखिल करने से पहले उत्पन्न होना चाहिए, और इसलिए यह तर्कसंगत है कि जवाबी दावा, या जिन आधारों पर यह आधारित है, उनका भी लिखित बयान में उल्लेख होना चाहिए। इसका समर्थन करने के लिए, उन्होंने भरोसा किया

आदेश VIII नियम 6B पर, जिसमें कहा गया है कि एक प्रतिवादी जो अपने जवाबी दावे के अधिकार के समर्थन में किसी भी आधार पर भरोसा करना चाहता है, अपने लिखित बयान में विशेष रूप से बताएगा कि वह जवाबी कार्रवाई के माध्यम से ऐसा करता है। दावा करें।

मैं दो कारणों से इस विचार से सहमत नहीं हूं। सबसे पहले, यह संभव है

कि लिखित बयान दाखिल करते समय, प्रतिवादी उन तथ्यों से अनजान है जो उसके जवाबी दावे के लिए कार्रवाई के कारण को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी बहन के खिलाफ वादी द्वारा लाए गए स्वामित्व की घोषणा के मुकदमे में, प्रतिवादी इस बात से अनजान हो सकता है कि वादी ने अपना लिखित बयान दाखिल करते समय उक्त संपत्ति में रखी गई उसकी वस्तुओं को गलत तरीके से हिरासत में लिया है। ऐसी स्थिति में, भले ही उसके काउंटर के लिए कार्रवाई का कारण-संपत्ति के गलत तरीके से हिरासत में रखने का दावा हो सकता है

लिखित बयान दाखिल करने से पहले उत्पन्न होने पर, उनके लिए उक्त प्रतिवाद को उठाना संभव नहीं रहा होगा।

इसी तरह, सीमित अशोक कुमार कालरा बनाम। विंग सीडीआर। सुरेंद्र

अग्निहोत्री और ओआरएस। [ मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

न्याय तक पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जो पक्षों के सामाजिक-आर्थिक संदर्भ से आकार लेती है, विलंबित जवाबी दावे दायर करने के लिए मजबूर कर सकती है।

न्यायनिर्णयन और निश्चित रूप से पहले मुकदमे में वादी की मदद नहीं करेगा, जिसने विलंबित जवाबी-दावा दायर करने का विरोध किया होगा। कार्यवाही की ऐसी बहुलता उस उद्देश्य के खिलाफ है जिसके साथ नियम 6 ए है। 6 जी को सी. पी. सी. में पेश किया गया था। इस प्रकार, आदेश VIII के तहत प्रावधानों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि एक संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, और नियम 6B को विलंबित जवाबी-दावा दायर करने की अनुमति देने के लिए न्यायालय के विवेक पर एक सीमा के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, मुझे प्रतिवादी के वकील द्वारा उठाए गए तर्क में बल नहीं मिलता है।

13. इसके अलावा, यह तर्क कि आदेश VIII नियम 6 के तहत सेट-ऑफ दाखिल करने की सीमा को नियम 6 ए (1) में पढ़ा जाना चाहिए, असमर्थनीय है।

वादी "जैसा कि आदेश VIII नियम 6 ए (1) में कहा गया है। इसके अलावा, बंद करने के मामले में, आदेश VIII नियम 6 ए (4) के समान कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें यह प्रावधान है कि बंद करने को वाद के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि विधानमंडल ने जानबूझकर नियम 6 ए में जवाबी दावे दायर करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा को छोड़ना उचित समझा है। ऐसे परिदृश्य में, इस नियम में किसी सीमा को नहीं पढ़ा जा सकता है। 14. अंत में, जहां तक आदेश VIII नियम 1 ए पर प्रत्यर्थी की निर्भरता का संबंध है, जिसमें लिखित कथन के साथ-साथ जवाबी दावे के समर्थन में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, मेरा विचार है कि इस आवश्यकता को अनिवार्य के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। नियम 1 ए (2) स्वयं ऐसे उदाहरण प्रदान करता है जहां ऐसे दस्तावेज कब्जे में नहीं हैं [2019] 17 एस. सी. आर.

प्रतिवादी से उस व्यक्ति को निर्दिष्ट करने की अपेक्षा करके जिसके कब्जे में दस्तावेज़ हैं। तदनुसार, नियम 1 ए (3) (2002 में संशोधित) में यह भी प्रावधान है कि इन दस्तावेजों को अदालत की अनुमति के साथ बाद में पेश किया जा सकता है। इन प्रावधानों में दिए गए विवेकाधिकार का पालन किया जाता है।

इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कि लिखित बयान के बाद भी अदालत की अनुमति से जवाबी दावा दायर करना संभव है।

15. अंत में, आदेश VI नियम 17 और आदेश VIII नियम 9 के तहत न्यायालय के विवेक का दायरा विलंबित होने की अनुमति देने के लिए निहित है।

16. कई मामलों में, यह संभव है कि जवाबी दावे दायर करने के लिए सीमा की अवधि लंबी अवधि तक बढ़ सकती है और मुकदमे को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमे में, प्रतिवादी पिछले कब्जे के आधार पर अचल संपत्ति के कब्जे के लिए एक जवाबी दावा कर सकता है। आदेश VIII नियम के संदर्भ में 6 ए, ऐसा दावा तब तक स्वीकार्य होगा जब तक कि लिखित बयान दाखिल करने से पहले या लिखित बयान दाखिल करने के लिए दिए गए समय की समाप्ति से पहले बेदखल किया गया था। हालांकि, सीमा अधिनियम के अनुसार, इस तरह का दावा वैध होगा, भले ही इसे प्रतिवादी की नियुक्ति की तारीख से बारह साल के भीतर लाया गया हो।

विस्थापन।

ऐसी स्थिति में, यह संभव है कि जब तक जवाबी दावा लाया जाता है, तब तक मूल वाद में मुद्दे पहले ही तैयार किए जा चुके होते हैं, साक्ष्य दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं और निर्णय सुरक्षित रहता है। इस स्तर पर जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने से प्रभावी रूप से मुकदमे की फिर से सुनवाई होगी, क्योंकि न्यायालय को नए मुद्दे तैयार करने होंगे, दोनों पक्षों को साक्ष्य देना होगा, और तभी निर्णय सुनाया जाएगा। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो जवाबी दावों को अनुमति देने का उद्देश्य, यानी मुकदमेबाजी की बहुलता से बचना, निराशाजनक होगा।

17. यह सर्वसम्मत है कि प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या न्याय को पराजित करने के लिए नहीं की जानी चाहिए, न कि इसे आगे बढ़ाने के लिए। यह है।

क्योंकि प्रक्रियात्मक कानून न्याय के खिलाफ एक अत्याचारी के रूप में कार्य करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके प्रशासन में एक स्नेहक के रूप में कार्य करने के लिए है। इस प्रकार, जब अदालतें न्याय करने के लिए निकलती हैं, तो उन्हें तकनीकीताओं के बीच अंतिम लक्ष्य की दृष्टि नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ मामलों में, इसका मतलब है कि ऐसे नियम जिनमें पारंपरिक रूप से अशोक कुमार कालरा v है।

विंग सीडीआर। सुरेंद्र

अग्निहोत्री और ओआरएस। [ मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

जिन्हें अनिवार्य माना गया है, उन्हें ढाला जा सकता है ताकि उनके उद्देश्य और मूल न्याय में बाधा न आए। यह याद रखना उचित होगा कि प्रक्रिया संबंधी नियमों का अर्थ लगाते समय समानता और न्याय सबसे प्रमुख विचार होने चाहिए, इसके उद्देश्य को रद्द किए बिना।

समग्रता में विधानमंडल। इस प्रकार, सीमा अधिनियम के तहत नियम जो लंबे समय तक विलंबित जवाबी-दावा दायर करने की अनुमति दे सकते हैं, उनका उपयोग न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

18. इसे ध्यान में रखते हुए, रमेश चंद अर्दावतिया में

( ऊपर), इस न्यायालय ने विलंबित जवाबी दावों की अनुमति देने में विवेकाधिकार की गुंजाइश पर विचार किया। आदेश VIII नियम 6 ए (जैसा कि 1976 में था) के संदर्भ में न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना उपयोगी हैः

अदालत का समय और साथ ही पक्षों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए भी दावों और प्रति-दावों, यानी सभी विवादों को सक्षम करके

समान पक्षों के बीच उसी क्रम में निर्णय लिया जा रहा है

कार्यवाही। यदि प्रतिवाद की अनुमति देने का परिणाम-दावा

या तो संशोधन के माध्यम से या बाद के अभिवचन के माध्यम से

पहले से ही उठाए गए कदमों पर पीछे हटने के लिए मजबूर करके मुकदमे का अदालत, अदालत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में उचित होगी

कानून ने कभी भी जवाबी दावे के माध्यम से अभिवचन का इरादा नहीं किया फिर से खोलने पर मजबूर करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा है

मुकदमा या कार्यवाही की प्रगति को पीछे धकेलना। आम तौर पर

बोलते हुए, एक जवाबी-दावा मूल लिखित में निहित नहीं है बयान को रिकॉर्ड में लेने से इनकार किया जा सकता है यदि मुद्दे

पहले से ही तैयार किया जा चुका है और मुकदमा चलाने के लिए मामला निर्धारित किया गया है, और

अधिक तब जब मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका हो।

एक विलंबित काउंटर पर विचार करने के लिए अदालत का हिस्सा-दावा हो सकता है

मनोरंजन से इनकार किए जाने के बाद वह हमेशा स्वतंत्र रहता है जवाबी दावे के लिए कार्रवाई के कारण के आधार पर अपना मुकदमा दायर करें।

( जोर दिया गया)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वैधानिक लागू करने का उद्देश्य

जवाबी दावों के संबंध में संशोधनों को पराजित नहीं किया गया था, यह उचित रूप से माना गया था कि एक संशोधन [2019] 17 एस. सी. आर. के माध्यम से उठाया गया एक विलंबित जवाबी दावा।

लिखित कथन (आदेश VI नियम 17 के तहत) या बाद के अभिवचन के रूप में (आदेश VIII नियम 9 के तहत) मुद्दों को तैयार करने और मुकदमा शुरू करने के बाद अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

19. बाद में, रोहित सिंह बनाम। बिहार राज्य, (2006) 12 एससीसी 734,

इस न्यायालय ने विलंबित जवाबी दावे दायर करने पर इसी तरह की सीमा में पढ़ा हैः

" 18. ..... एक प्रतिदावा, निस्संदेह, के बाद भी दायर किया जा सकता है

लिखित कथन दाखिल किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुद्दों को तैयार करने के बाद प्रतिवाद उठाया जा सकता है और

सबूत बंद है। इसलिए, तथाकथित लोगों का मनोरंजन

विचारण न्यायालय द्वारा 3 से 17 तक प्रतिवादियों का प्रतिवाद,

मुकदमों के लिए मुद्दों को तैयार करना, स्पष्ट रूप से अवैध और बिना मुकदमे के था

अधिकार क्षेत्र। उस संक्षिप्त आधार पर तथाकथित प्रतिदावा दायर किया गया

प्रतिवादियों द्वारा 3 से 17 को बनाए रखने योग्य नहीं माना जाना चाहिए।

( जोर दिया गया)

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही न्यायालय ने माना कि एक काउंटर

दावा एक लिखित बयान दाखिल करने के बाद दायर किया जा सकता है, यह आवश्यक रूप से मुद्दों को तैयार करने से पहले दायर किया जाना चाहिए और सबूत है

बंद कर दिया। वास्तव में, चूंकि उक्त मामले में जवाबी दावा उस स्तर पर दायर किया गया था जहां निर्णय सुरक्षित रखा गया था, इसलिए अदालत ने यहां तक कहा कि इस तरह के दावे पर विचार करना अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था।

20. बोल्लेपांडा पी. पूनाचा बनाम में इस न्यायालय का निर्णय।

के. एम. मडपा, (2008) 13 एस. सी. सी. 179 भी इस संबंध में महत्वपूर्ण है। रमेश चंद अर्दावतिया (ऊपर) का उल्लेख करते हुए, इसने स्वीकार किया कि विलंबित जवाबी दावों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, और आह्वान किया

न्यायालय ऐसे किसी भी दावे की अनुमति देते समय गंभीर अन्याय और अपूरणीय क्षति के प्रश्नों पर विचार करेगा। हालाँकि, बोल्लेपांडा (ऊपर) में, न्यायालय के पास इस प्रस्ताव पर आगे विस्तार से बताने का अवसर

नहीं था, क्योंकि जवाबी दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि लिखित बयान दाखिल करने के बाद इसकी कार्रवाई का कारण सामने आया था।

21. यह गायत्री महिला कल्याण संघ बनाम में था।

गौरम्मा, (2011) 2 एस. सी. सी. 330 ने कहा कि इस न्यायालय को एक बार फिर विलंबित जवाबी दावा दायर करने पर गौर करने का अवसर मिला। इस मामले में, प्रारंभिक प्रति-दावा दायर करना चुनौती में नहीं था। इसके बजाय, न्यायालय एक मौजूदा काउंटर में संशोधन के प्रभाव पर विचार कर रहा था दावा करें। जबकि विचारण न्यायालय ने इस तरह के संशोधन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, अशोक कुमार कालरा बनाम।

विंग सीडीआर। सुरेंद्र

अग्निहोत्री और ओआरएस। [ मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

उच्च न्यायालय ने भी यही अनुमति दी थी। रमेश चंद अर्दावतिया (ऊपर) में उल्लिखित चिंताओं को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 44. यह मामला रमेश चंद [(2003) 7 एस. सी. सी. 350] में इस न्यायालय द्वारा उजागर की गई चिंता का प्रतीक है। ए को अनुमति दे रहा है इस स्तर पर प्रतिवाद एक डिक्री को फिर से खोलना होगा जो निचली अदालत द्वारा अपीलार्थियों के पक्ष में दी गई है। प्रतिवादी निचली अदालत की डिक्री में संशोधन/रद्द करने के लिए कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार स्थापित करने में विफल रहे हैं। ”

न्यायालय ने रोहित सिंह (उपरोक्त) पर भी भरोसा किया और कहा कि मुद्दों को तैयार करने के बाद जवाबी दावा दायर नहीं किया जा सकता है।

22. विजय प्रकाश जरथ बनाम। तेज प्रकाश जरथ, (2016) 11 एस. सी. सी. 800, इस न्यायालय ने रोहित सिंह (ऊपर) में इस सीमा को और परिष्कृत किया कि मुद्दों को तैयार करने और साक्ष्य को बंद करने के बाद जवाबी दावे नहीं किए जा सकते हैं। उक्त मामले में, भले ही मुद्दे तैयार किए गए थे, और मामला वादी के साक्ष्य को दर्ज करने के शुरुआती चरण में था, उस समय दायर किए गए जवाबी दावे की अनुमति दी गई थी, जैसे -

23. उपरोक्त चर्चा इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि भले ही नियम 6 ए लिखित बयान के बाद जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देता है, लेकिन अदालत को इस तरह की फाइलिंग को अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है यदि यह अत्यधिक विलंबित चरण में किया जाता है। हालाँकि, मेरी सुविचारित राय में, मुकदमों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, औचित्य की आवश्यकता है कि इस तरह का विवेकाधिकार इसका प्रयोग केवल मुकदमे के लिए मुद्दों को तैयार करने तक किया जाना चाहिए। इस चरण से आगे जवाबी दावों की अनुमति देने से न केवल मुकदमा लंबा चलेगा, बल्कि उन अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो समय के साथ वादी के पास निहित हो सकते हैं।

साथ ही, असाधारण परिस्थितियों में, कार्यवाही की बहुलता और प्रभावी पुनर्विचार की स्थिति को रोकने के लिए, न्यायालय जब तक न्यायालय ने साक्ष्य दर्ज करना शुरू नहीं किया है, तब तक मुद्दे तैयार करने के बाद भी प्रतिदावे पर विचार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्दों को तैयार करने और साक्ष्य दर्ज करने की शुरुआत के बीच की अवधि के दौरान कानूनी कार्यवाही में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। यदि ऐसी अवधि के दौरान एक प्रति-दावा लाया जाता है, तो भी अदालत द्वारा एक नया मुद्दा तैयार किया जा सकता है, यदि आवश्यक हो, और मुकदमे के लिए किसी भी पक्ष के अधिकारों को गंभीरता से पूर्वाग्रहित किए बिना, तदनुसार साक्ष्य दर्ज किया जा सकता है।

इस मोड़ पर, मैं रोहित सिंह (ऊपर) में इस अवलोकन को संबोधित करना चाहूंगा कि एक जवाबी दावा, यदि गठन के बाद दायर किया जाता है

साक्ष्य को जारी करना और उसे बंद करना अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना होगा। मेरी राय में, यह कानून का सही बयान नहीं है, जैसा कि रिकॉर्ड करने की शुरुआत के बाद जवाबी दावे दायर करना है।

साक्ष्य अपने आप में अवैध नहीं है। हालांकि, मैं जल्दबाजी में यह कहना चाहूंगा कि इस तरह के जवाबी दावे की अनुमति देना अनुचित होगा, क्योंकि न्यायालय के विवेक का बुद्धिमानी और व्यावहारिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।

24. विलंबित प्रति-दावा दाखिल करने की अनुमति देते समय कई विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले, न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कोई अन्याय या अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है।

प्रतिवाद को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण प्रतिवादी-दावा, या वादी को इसकी अनुमति देकर। बेशक, जैसा कि प्रतिवादी के पास होगा

न्याय के हित को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए और प्रक्रिया मूल न्याय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मुकदमेबाजी की बहुलता को कम करने और अंतर्निहित त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के विशिष्ट उद्देश्य। प्रति-दावों के प्रावधानों पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

25. प्रतिवाद पर इस न्यायालय के पिछले निर्णयों, उससे संबंधित नियमों में प्रयुक्त भाषा और साथ ही विधानमंडल के इरादे पर विचार करने के बाद, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि यह नहीं है काउंटर के लिए अनिवार्य-लिखित बयान के साथ दावा दायर किया जाना। न्यायालय, अपने विवेकाधिकार में, लिखित कथन दाखिल करने के बाद जवाबी दावा दायर करने की अनुमति दे सकता है।

पूर्ववर्ती अनुच्छेद में उल्लिखित विचार। हालांकि,

औचित्य के लिए आवश्यक है कि इस तरह के विवेकाधिकार का उपयोग आम तौर पर मुकदमे के लिए मुद्दों को तैयार करने तक जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने के लिए किया जाना चाहिए। इस हद तक, मैं अपने विद्वान द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत हूं।

भाइयों। हालांकि, ऊपर बताए गए कारणों से, मेरा विचार है कि असाधारण परिस्थितियों में, लिखित बयान के बाद जवाबी दावा दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। वादी की ओर से साक्ष्य का अभिलेखन।

26. संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

संदर्भ

ने जवाब दिया।

दिव्या पांडे